402(9)
27.03.2019

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं09/आ0-5-31/2018 /स्वा0/पटना,दिनांक /डा0 अभय कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनपुरा, सिवान के विरूद्ध दिनांक 25.06.2010 को रात्रि 11.30 बजे जिला पदाधिकारी सिवान के निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाये जाने, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश को गंभीरता से नहीं लिए जाने का आरोप सिविल सर्जन के पत्रांक 1693 दिनांक 07.09.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।

2. डा0 कुमार से विभागीय पत्रांक 1213(9) दिनांक 06.11.2018 के द्वारा स्पष्टीकरण मांगी गयी जिसके प्रत्युत्तर में डा0 कुमार द्वारा कहा गया हे कि दिनांक 25.06.2018 को 11.30 बजे रात्री में रोस्टर टयूटी के अनुसार मेरी डयूटी नहीं थी। जिला पदाधिकारी द्वारा रात्रि 11.30 बजे भ्रमण किया गया जबकि मेरी डयूटी दिनांक 25.06.2018 को 8.00 रात्री तक थी।

3. विभाग द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनपुरा से वर्ष 2018 के चिकित्सा पदाधिकारियों की कर्तव्य तालिका की मांग की गई थी, जिसके अनुसार दिनाक 25.06.2018 दिन सोमवार को डा0 कुमार के कर्तव्य का समय 2.00 बजे अपराह्न से 8.00 बजे संध्या तक था इससे डा0 कुमार की कथन की पुष्टि होती है।

4. संपूर्ण मामले की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी तथा पाया गया दिनांक 25.06.2018 को रात्रि 11.30 बजे जिला पदाधिकारी, सिवान के निरीक्षण के समय रोस्टर के अनुसार डा0 अभय कुमार की ड्यूटी नहीं थी। इसलिए वे दोषी नहीं है।

अतः डा0 अभय कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, हसनपुरा सिवान को आरोप मुक्त किया जाता है।

5. उपर्युक्त में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

27/03/19

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक: 402(9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 27.03.2019

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना/ उप सचिव वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सिवान/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय उप-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें सारण प्रमंडल छपरा/ सिविल सर्जन, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा0 अभय कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनपुरा, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9, एवं 10,17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/03/19

सरकार के अवर सचिव

D:\All Letter 2017 SWETA\Notification.docx